UPBG010028712026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०–1, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा, एच.जे.एस.

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या –981/2026

1. अरमान पुत्र सलीम निवासी निकट गुरूद्वारा पटटी मेहर, कस्बा व थाना बडौत, जिला बागपत।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ 0 प्र 0 राज्य

.....अभियोजक।

मु०अ० सं०–1122/2022
धारा–323, 504, 506, 308 भा.दं.सं.
थाना–बडौत,
जिला–बागपत।

दिनांकः 03–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त अरमान की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सलीम पुत्र इस्लाम द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त का यह **तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र** है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। वह पूर्व में जमानत पर था। कपडा फेरी का कार्य करने के लिए अन्य प्रदेश में जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण उसके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी कर दिये गये। उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। वह भविष्य में नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। वह दिनांक 17–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की और से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त की और से विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त लगातार न्यायालय में अनुपस्थित आ रहा था जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये, जिसके अनुक्रम में अभियुक्त दिनांक 17–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.06.05 11:37:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु० पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के आधार पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(नीरू शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०–01,
बागपत।